

फर्द अहकाम

मुकेश

बनाम

लालाराम वगै०

यालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

। सं० 216/2025

सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.11.2025	अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह द्वारा वाद वावत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 03.12.2025 को पेश हो।	
	3.12.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य कार्रवाई प्रारंभ है। अतः पूर्ण आवेदनपत्र दिनांक 7.1.26 को पेश हो।	
	7.1.26	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिनक्षता अनुपस्थित। वादी को भाज न्यायालय के प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगायी गयी। बावजूद भावाज लगावते के उपरांत श्री वादी के न्यायालय में हजरि नहीं जाने के कारणा पत्रावली अन्तर्गत भास्त्रा-7 सिगम-3 जा० शी० के तहत अग्रम हाजरी एवं अग्रम घंटी के तारिज ली गयी। पत्रावली फौजल नुमाद होकर नंबर ले कम होकर शरिख रमतर हो।	

सुले
अधिवक्ता पत्रावली
जोबनेर न्यायालय